FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0076 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/03/2026 14:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:33 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/03/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/03/2026 14:30:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHASIL KARAYAL GOVINDGARH, JILA ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJKUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATTIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SIRMOR, GOVINDGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SIRMOR, GOVINDGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BASANT KUMAR PARSOYA		पिता:BANNARAM RAIGAR	1. 21,GAJSINGHPURA,AJMER ROAD KE PASS,BANK COLONY,200 FEET BY PASS,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	RAVI URF RAVINDRA URF RINKU		पिता:SOHANLAL	1. MUNSHI BAG, ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2026 को वक्त करीब 11.00 एएम पर पर इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री रत्तीराम ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर व परिवादी का जीजा (सहपरिवादी) श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोतीरात निवासी नई बस्ती बेलाका देहली रोड अलवर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री राजकुमार ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मै राजकुमार पुत्र श्री रत्तीराम जाति जाटव निवासी सिरमौर तहसीली गोविन्दगढ अलवर का निवासी हूं। मेरी मौसी का नाम बत्तन उर्फ बत्तो पत्नी श्री प्रभाती निवासी सिरमौर के नाम ग्राम पंचायत चिडवाई में उसके पति प्रभाती की जमीन में से 1/2 हिस्सा है एवं मै उस पर काविज हूं। मेरे ताउजी ने मेरी मौसी(ताई) के अलावा एक दूसरी शादि की थी जिनका नाम बबली है । इस कारण 1/2 हिस्सा बबली के नाम है। मेरी मौसी (ताईजी) की मृत्यू करीब दो साल पहले हुई थी। मेरे ताउजी की मृत्यु के बाद बत्तन उर्फ बत्तो एवं बबली के नाम हो गई। मेरी मौसी की मृत्यू जुलाई 2024 में हो गई उन्होने मरने से पहले अपने हिस्से की जमीन व चल अचल सम्पती मेरे नाम बसीयत कर दी थी। उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मै वसीयत के आधार पर मेरी मौसी के हिस्से की जमीन को अपने नाम चढवाने के लिये तहसीलदार गोविन्दगढ मे कागजात लगाये तो उन्होने उसको पटवारी व ग्राम पंचायत चिडवाई सरपंच को आगे भेज दी थी। पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत चिडवाई ने उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नही होने के कारण जमीन बबली के नाम करने का ही इन्द्राज किया। जिस पर हमने एसडीम साहब गोविन्दगढ से अपील की तो एसडीएम साहब नें हमारे हक में अपना हिस्सा चढाने का आदेष 3.12.2025 को तहसीलदार गोविन्दगढ के नाम किया तब तहसीलदार गोविन्दगढ को पुनः अपने कागजात पेष किये तो उन्होने फाईल को अपने पास रखने और उस पर सुनवाई शुरू कर दी। अब उक्त ने हमारे पक्ष में फैसला करने के बाबत रवि से मिलने के लिये और कहा की रवि तुम्हे सारा खर्चा बता देगा। दिनांक 12.03.2026 को रवि मेंरे से मिला और कहा की तहसीलदार जी तुम्हारे केस में तुम्हारे पक्ष में फैसला करने के लिये कह रहे है और उन्होने उसके बदले पांच लाख रूपये खर्चा देना बताया है। तब मैने कहा की हमारा तो हक है, उस जमीन पर आडर भी एसडीएम का हमारे हक मे है तो पांच लाख रूपये में से कम कराओ इतनी ज्यादा रकम हम नही दे पायेगे तो रवि ने कहां मै तुम्हारी तहसीलदार साहब से मिटिग और करा दूंगा। रवि ने आज सुबह मेरे को फोन किया की मेरे फार्म पर आ जाना तहसीलदार जी से तुम्हे मिला दूंगा और रूपये कम ज्यादा की बात भी वही पर कर लेगे। मै मेरे जायज काम के लिये तहसीलदार जी को रिष्वत नही देना चाहता और उनको रिष्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मै इस कार्यवाही मेरे जीजाजी देवेन्द्र कुमार निवासी नई बस्ती अलवर को साथ रखूंगा वो इन कागजी कार्यवाही व लिखापढी में समझते है और वे आगे की बातचीत अकेले भी करेगे तो मुझे कोई आपत्ति नही है। रवि उर्फ रिंकू व तहसीलदार गोविन्दगढ के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करे। " और पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री रवि उर्फ रिंकू व तहसीलदार गोविन्दगढ से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला

रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर वक्त करीब 12.24 पी.एम सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर से दलाल रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति) के मोबाईल नम्बर पर करवाई गई तो दलाल ने तहसीलदार से बात कर बुलाने की कही। उक्त मोबाईल वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी Sandisk 32 GB लगाकर रिकॉर्ड किया गया। बाद रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि दलाल रवि उर्फ रिंकू ने मेरे को फोन कर बताया है कि तहसीलदार साहब से बात हो गई है। तुम लोग एक डेढ घण्टे में मेरे फार्म हाऊस पर आ जाना। तहसीलदार साहब फार्म हाऊस पर ही आयेंगे। इसके बाद वक्त करीब 3.50 पी.एम कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है जिसमें सहपरिवादी देवेन्द्र कुमार व दलाल रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति) की मोबाईल वार्ता रिकार्ड है को परिवादी श्री राजकुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो सके वह दलाल रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति) से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता तहसीलदार की उपस्थिति में करे तथा दलाल व तहसीलदार से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी व सहपरिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री राजकुमार को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपीगण के पास भेजे तथा परिवादी व सहपरिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व आरोपीगण को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व सहपरिवादी एवं हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.00 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने जरिये वाटसअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि परिवादी श्री राजकुमार ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग राशि सहित साथ लेकर कार्यालय आने के लिए निर्देश दिये। जिस पर श्री सुण्डाराम ने परिवादी श्री राजकुमार से बात करवाई तो परिवादी ने अवगत कराया कि साहब आपके निर्देशानुसार मैं व मेरा जीजा देवेन्द्र कुमार और आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम कार्यालय से रवाना होकर रामगढ गोविन्दगढ रोड पर दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे सिरमौर के पास पहूंचे जहां पर श्री सुण्डाराम ने डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैनें अपने पास रख लिया और मैं व मेरा जीजा श्री देवेन्द्र कुमार मोटरसाईकिल पर रवाना होकर दलाल रवि उर्फ रिंकू का दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे से लगभग 500 मीटर गोविन्दगढ रोड की तरफ फार्म हाऊस पर पहूंचे जहां दलाल रवि उर्फ रिंकू उपस्थित मिला जिससे मेरी मौसी द्वारा मेरे वसीयत की गई जमीन के हिस्से की जमीन को अपने नाम चढवाने के लिए बातचीत करने लगे कुछ समय बाद ही तहसीलदार गोविन्दगढ भी अपनी सरकारी गाडी से फार्म हाऊस पर आ गया जिनसे दलाल रवि उर्फ रिंकू की उपस्थिति में तहसीलदार साहब से मैने व मेरे जीजा जी ने भी मेरी मौसी द्वारा मेरे वसीयत की गई जमीन के हिस्से की जमीन को अपने नाम चढवाने के संबंध में बातचीत की जिस पर तहसीलदार साहब ने कहा रवि से बात कर लेना आपका कच्चा काम का पक्का हो जाएंगा इसके बाद तहसीलदार फार्म हाऊस से रवाना हो गया जिसके बाद दलाल रवि उर्फ रिंकू ने कहा तहसीलदार 500000/-रूपये से कम में नहीं मानेगा पर तेरा काम 350000/-रूपये तक करवा देगें। मेरी मौसी द्वारा मेरे वसीयत की गई जमीन के हिस्से की जमीन को अपने नाम चढवाने के 350000/-रूपये की मांग की है। बातचीत होने के बाद मैं व मेरा जीजा, रवि उर्फ रिंकू के फार्म हाऊस से रवाना होकर दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे के पास पहूंचे। जहां पर श्री सुण्डाराम जी मिले जिसे चालू हालत में श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दे दिया जिसे उन्होनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। मैने उक्त वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया है। सर मुझे घर पर बहुत जरूरी कार्य है तथा पैसों की भी व्यवस्था करनी है। मैं पैसों की व्यवस्था कर आपके कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी की उक्त बातों की ताईद श्री सुण्डाराम हैड कानि. द्वारा भी की गई। इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को निर्देश दिये गये आप परिवादी व सहपरिवादी को मौके पर ही छोडकर वॉईस रिकॉर्डर सहित उपस्थित कार्यालय आने के निर्देश दिये। तत्पश्चात वक्त करीब 7.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने बताया कि मैं और परिवादी श्री राजकुमार और सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार कार्यालय से रवाना होकर रामगढ गोविन्दगढ रोड पर दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे सिरमौर के पास पहूंचे जहां पर मेरे द्वारा डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर परिवादी को सुपुर्द किया जिसे परिवादी अपने पास रख लिया तथा परिवादी व सहपरिवादी मोटरसाईकिल पर रवाना होकर दलाल रवि उर्फ रिंकू का दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे से लगभग

500 मीटर गोविन्दगढ रोड की तरफ फार्म हाऊस पर रवाना कर दिया गया। जिस पर मेरे द्वारा नजर बनाये हुई थी। करीब 45-50 मिनट बाद परिवादी व सहपरिवादी उक्त फार्महाऊस से बाहर निकल कर मेरे पास आये और चालू हालत में टेप रिकॉर्डर मेरे को सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर मैनें मेरे पास रख लिया और परिवादी ने बताया तहसीलदार व दलाल रवि उर्फ रिंकू से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में बात हो गई है। उक्त बाते जरिये वाट्सएप कॉल द्वारा आपको परिवादी ने बता दी थी। मै, आपके निर्देशानुसार परिवादी व सहपरिवादी को मौके पर ही छोडकर वॉईस रिकॉर्डर सहित दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे सिरमौर से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आ गया। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व सहपरिवादी से संदिग्ध आरोपी तहसीलदार के कहने पर दलाल रवि उर्फ रिंकू ने कहा तहसीलदार 500000/-रूपये से कम में नहीं मानेगा पर तेरा काम 350000/-रूपये तक करवा देगें। परिवादी की मौसी द्वारा वसीयत की गई जमीन के हिस्से की जमीन को परिवादी के नाम चढवाने के 350000/-रूपये की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.03.2026 को वक्त करीब 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार उपस्थित कार्यालय आये और मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकी है आज शाम को किसी जानकार से पैसे आने है। पैसे आने के बाद मैं व मेरा जीजा देवेन्द्र कुमार तहसीलदार गोविन्दगढ के लिए दलाल रवि उर्फ रिंकू द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि सहित आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात वक्त करीब 10.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुण्डाराम हैड कानि. व श्री भीम सिंह कानि. एवं परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार के समक्ष परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार एवं संदिग्ध आरोपी श्री बसन्त परसोया, तहसीलदार, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर एवं रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मध्य दिनांक 13.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता जो कि विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा है, को चलाकर एवं सुनकर दिनांक 13.03.2026 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी में रखे गये, उक्त राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 16.03.2026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान श्री सुण्डाराम हैड कानि. व श्री भीम सिंह कानि. को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री राजकुमार ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार एवं आरोपी तहसीलदार तथा रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) की होने की पहचान की गई। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी Sandisk 32 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई तथा तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री राजकुमार व सहपरिवादी श्री देवेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त ट्रांसक्रिप्ट व पैनड्राईव मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री भीम सिंह से बनवाई गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल व रूबरू वार्ता दिनांक 13.03.2026 की रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी को मैमोरी कार्ड सहित एक सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त कपडे की थैली को सीलमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। उपरोक्त कार्यवाही पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट व तैयार पेनड्राईव एवं जब्ती मूल एसडी मैमोरी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 13.03.2026 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। जब्त आर्टिकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 17.03.2026 को वक्त करीब 9.50 ए.एम पर परिवादी श्री राजकुमार उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी तहसीलदार व दलाल रवि उर्फ रिंकू को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब 150000/-रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है, जो मैं साथ लेकर आया हूं। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा गवाहान श्री सुनिल कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री जतीन बमणावत कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक राज्य कर विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री राजकुमार का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री राजकुमार द्वारा दिनांक 13.03.2026 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री

राजकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री बसन्त परसोया, तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर व श्री रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राजकुमार से आरोपी श्री बसन्त परसोया, तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर व अन्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट कुल राषि 1,50000/- रूपये निकालकर पेष किये। परिवादी द्वारा पेष की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 1,50000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त पेष शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात 500-500 रूपये के 300 नोटो कुल 1,50000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री कपील सोमवंषी वरिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर श्री कपील सोमवंषी से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री राजकुमार की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील कुमार से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी।केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री कपील सोमवंषी से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोटो कुल 1,50000/- रूपये परिवादीके पास एक कपडे की थैली(मीठाई वाला बैग) जिसमें में श्री कपील सोमवंषी से रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राषि निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर तौलिया बांधकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईषारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री कपील सोमवंषी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री कपील सोमवंषी ,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री राजकुमार व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपील सोमवंषी के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये।इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टै्रप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पष्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये।

तत्पश्चात वक्त करीब 12.55 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भीम सिंह कानि. 192, रामजीत सिंह कानि. 206, मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेषचन्द व दो मोटरसाईकिल एवं 01 स्कूटी से रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के फार्म हाऊस सिरमौर तथा श्री भास्कर हैड कानि. 59 व श्री भगवान सिंह कानि. 125 को जरिये मोटरसाईकिल से आरोपी श्री बसन्त परसोया, तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर को डिटेन करने तहसील कार्यालय गोविन्दगढ रवाना कर वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब सिरमौर के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.55 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेक्स वे के पास गोविन्दगढ रोड की तरफ बने फार्म हाऊस के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया

और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू के फार्म हाऊस पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व एसीबी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू के फार्म हाऊस के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 3.33 पी.एम पर परिवादी श्री राजकुमार ने मन उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो ने देखा परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर के अन्दर पहूंचा, जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर टेपरिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष उक्त फार्म हाउस में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया की ये ही श्री रवि उर्फ रिंकू है जिन्होनें अभी अभी मेरे से तहसीलदार साहब गोविन्दगढ श्री बसन्त जी के लिये मेरी मौसी (ताईजी) द्वारा उसके हिस्से की जमीन की वसीयत/कागजात मेरे नाम से किये गये है उक्त कागजात के आधार पर मेरी मौसी के हिस्से की जमीन मेरे नाम चढवाने की एवजं में 1,50000/- रूपये रिश्वत के मांगकर मोटरसाईकिल पर रखे हुये एक छोटा बैग की चैन श्री रवि ने खोलकर मुझसे उस बैग में रखवाये है तथा इन्होने तहसीलदार साहब से फोन पर बात कर ली है। तहसीलदार साहब ने 4.30 पी.एम पर तहसील में बुलाया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बाताये अनुसार उक्त कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो वो हडबडाहट कर कुर्सी से उठकर जाने का प्रयास किया तो उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री रामजीत कानि. एवं बाया हाथ श्री भीम सिंह कानि से पकडवाया जाकर उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र श्री सोहनलाल जाति कलाल उम्र 39 साल निवासी मुंषीबाग अलवर, प्राईवेट व्यक्ति हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस बात के लिये ली गई है और अब कहां है इस पर आरोपी रवि उर्फ रिंकू ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के समक्ष परिवादी से ली गईरिश्वत राशि वही पर अपनी स्वयं की मोटरसाईकल के हैडल में लटकाकर मोटरसाईकिल की टंकी पर रखे एक छोटे बैग मे होना बताया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू से पूछा की आपने अभी परिवादी श्री राजकुमार से किस बात के 1,50000/-रूपये लिये हैं, इस पर दोनो गवाहान एवं एसीबी स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू ने बताया की मैने दिनांक 12.03.2026 को मुझे तहसीलदार साहब ने बुलाकर पूछा की सिरमौर के राजकुमार को जानता है क्या तो मैने उनसे कहा मै जिस फार्म पर नौकरी करता हूं व उसी गांव में है जिस कारण से मै उसको जानता हूं। इस तहसीलदार साहब ने मुझे राजकुमार का तहसील गोविन्दगढ में पैण्डिग केस के बारे में बताया और मुझसे कहा की तू राजकुमार को बुलाके उससे बात कर लेना मै उसका काम कर दूंगा। इस पर मैने तहसीलदार साहब के पास बैठे बैठे ही राजकुमार को फोन किया और उनके काम के बारे में पूछा इसके बाद मै उसी दिन राजकुमार के घर जाकर उनसे बातचीत की और उनको बताया की तहसीलदार साहब ने आपके काम के लिये 5 लाख रूपये देने के लिये कहा है। तुम कल मेरे पास फार्म हाउस पर आ जाना तहसीलदार साहब फार्म हाउस पर ही आयगे और वहा पर बैठकर बातचीत कर लेगे और मैने इनको बताया मै तहसीलदार साहब से बात करके आपको टाईम बता दूंगा। इस के बाद दिनांक 13.03.2026 को मैने इनको फोर कर शाम को फार्म हाउस पर आने की कही। इस पर राजकुमार व उसके एक रिश्तेदार मेरे पास फार्म पर आये कुछ देर बाद ही तहसीलदार साहब भी फार्म हाउस पर आ गये और हम इसी जगह बैठकर इनके काम के बारे में बातचीत की तहसीलदार साहब ने मुझे पांच लाख रूपये इनसे लेने के लिये कहा था इन्होने मुझसे कहा था की पांच लाख रूपये ज्यादा है जिस पर मैने तहसीलदार साहब से बात करके इनको 3,50000/-रूपये देने के लिये कह दिया। इसके बाद तहसीलदार साहब इनको मुझसे बात करने की कह करके यहां से चले गये थे तथा ये इनहोने मुझसे कहा की एक साथ इतनी रकम की व्यवस्था नही हो पायेगी हम दो तीन दिन में डेढ से दो लाख रूपये की व्यवस्था कर आपसे बात कर लेगे। इसके बाद आज दिन में राजकुमार से मेरी फोन पर बातचीत हुई तो मैने इनको फार्म हाउस पर आने के लिये कह दिया। राजकुमार आज करीब 2 बजे के आस पास मेरे पास फार्म पर आया था, मेरे पास फार्म पर पहले से ही कई लोग आये हुये थे उनसे फ्री होने के बाद मैने राजकुमार से बातचीत की तो राजकुमार ने बताया की 1,50000/- रूपये की व्यवस्था हुई है तो मैने इससे कहा की तहसीलदार ने पुरे एक साथ देने की कही थी इस पर मैने तहसीलदार साहब श्री बसंन्त जी से मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर बातचीत कर इसके आने की व मिलने की बातचीत की तो तहसीलदार साहब ने कहा की आ जाओ ऑफिस ही बैठा हूं। इस पर मैने तहसीलदार साहब को कहा की 4.30 बजे तक आता हूं इसके बाद मैने मेरी मोटरसाईकिल पर रखे बैग की चैन खोलकर राजकुमार को ईशारे से पैसे रखने के लिये कहा तो राजकुमार ने अपनी मोटरसाईकिल पर लगे हुये थैले को खोलकर उसमें से एक थैली निकालकर थैली में रखे हुये रूपयो सहित ही मेरे बैग रख दिये जो अभी मेरे बैग में ही रखे हुये है, उक्त 1,50000/-रूपये की राशि मैने तहसीलदार साहब गोविन्दगढ श्री बसन्त जी के कहने से लिये है। मै उक्त राशि को तहसीलदार साहब से हुई बातचीत अनुसार 4.30 बजे उनके कार्यालय में पहूंचकर उनको

दूंगा। मेरा इन पैसो से कोई लेना देना नही है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने पास ही खडे परिवादी से आरोपी रवि उर्फ रिंकू द्वारा बताई गई वार्ता के बारे में पूछा तो परिवादी ने आरोपी रवि उर्फ रिकू की बातो को सही होना बताया। इसके बाद दोनो गवाहान से आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू के बताये अनुसार उसकी मोटरसाईकिल हीरो एक्ट्रीन नम्बर आरजे 02 ईएस 3290 पर रखे हुये बैग की तलाशी लिवाई जाने पर उक्त जेब से 500-500 रूपये के नोट की तीन गड्डीया बरामद हुई। उक्त बरामदशुदा नोटो को दोनो गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 300 नोट कुल 1,50000/-रूपये होना पाये गये। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि को वापिस उसी बैग में रखवाया जाकर गवाह श्री सुनील के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू से पूछा गया की अभी आपने बताया की परिवादी राजकुमार से 1,50000/-रूपये की राशि तहसीलदार गोविन्दगढ श्री बसन्त के कहे अनुसार ली है तो आप उनसे अभी फोन पर उक्त राशि के बारे में बातचीत करो तो दोना गवहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यो के समक्ष आरोपी रवि उर्फ रिंकू ने बताया की तहसीलदार साहब ने मुझे दिनांक 12.03.2026 को ही कहा था कि पैसे के बारे में फोन पर कोई बातचीत नही करनी है, मुझसे मिलकर ही पैसे देना है इस कारण से वह मुझसे पैसे के लिये बातचीत नही करेगा। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। जिसकी प्रथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं डीवीडी व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इसके बाद तहसील कार्यालय गोविन्दगढ में भेजे गये श्री भास्कर हैड कानि., श्री भगवान कानि.को कार्यवाही से अवगत कराते हुये आरोपी तहसीलदार को निगरानी में रखने के निर्देश दिये गये। आरोपी रवि उर्फ रिंकू के बताये अनुसार आरोपी बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार गोविन्दगढ को डिटेन किया जाना आवश्यक है अतः आरोपी को डिटेन करने हेतु एवं मौके पर अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव नही होने से डिटेनशुदा आरोपी रवि उर्फ रिंकू को दोनो हाथ कलाई से उपर पकडे पकडे ही सरकारी वाहन बोलेरो मे बैठाया जाकर व बरामदशुदा रिश्वत राशि के ट्रेप पार्टी सदस्य दोनो गवाहान परिवादी को सरकारी वाहन, प्राईवेट स्कूटी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय गोविन्दगढ के लिये रवाना होकर करीब 4.10 पी.एम पर तहसील कार्यालय गोविन्दगढ पहूंचे जहां पर श्री भास्कर हैड कानि, व श्री भगवान सिंह कानि. तहसीलदार गोविन्दगढ के कक्ष के बाहर उपस्थित मिले तहसीलदार के कक्ष में आरोपी तहसीलदार गोविन्दगढ श्री बसन्त कुमार परसोया बैठै हुये मिले जिनको कार्यवाही से अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई तथा हमरा लाये गये आरोपी रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू ने दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष तहसीलदार बसन्त परसोया को कुर्सी पर बैठे हुये देखकर तुरन्त ही कहा की साहब मैने राजकुमार से जो आज 1,50000/-रूपये लिये है। उक्त राशि मैने तहसीलदार साहब के कहे अनुसार ही ली है। तहसीलदार साहब ने मुझे दिनांक 12.03.2026 को बुलाकर राजकुमार से बात करने के लिये कहा था और दिनांक 13.03.2026 को मेरे पास फार्म हाउस पर आकर राजकुमार व उसके रिश्तेदार के साथ बातचीत की और मुझसे इनसे 3,50000/-रूपये लेने के लिये कहा था इस पर तहसीलदार बसन्त कुमार परसोया ने इनकार किया की मैने रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू से कोई पैसे लेने की बातचीत नही की और नही कोई रिश्वत की मांग की, इसके बाद मौके पर गवाह श्री सुनील के पास रखवाई गई बरामदशुदा रिश्वत राशि को पेश करने की कहने पर उक्त गवाह श्री सुनील ने बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 1,50000/- रूपये की तीन गड्डिया रबड बैड लगी हुई पेश की जिनका विवरण फर्द में अंकित कर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 15,0000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर मार्क TM अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में उक्त कमरे में लगी हुई टेबिल पर रखी हुई पानी की बोतल में से साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू द्वारा अपने जिस बैग में रिश्वत राशि रखवाई जाकर बरामद की गई है, उक्त बैग के आगे की छोटी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है को उल्टाकर डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क B-1, B-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा उक्त बैग की जेब जहां से रिश्वत राशि मय थैली के बरामद हुई है जिस पर कन्हैया स्वीट्स लिखा हुआ है उक्त थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त थैली को उक्त बैग में रखा जाकर तथा उक्त बैग की उपर की जेब मे अन्दर की तरफ सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क B अंकित कर कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबायील फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से करवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूछा

गया की आरोपी रवि उर्फ रिंकू ने परिवादी श्री राजकुमार से आपके कहे अनुसार उसके केस का निस्तारण कर उसके हक में फैसला कर उसकी मौसी के नाम जमीन का राजकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढाने के लिये दिनांक 12.03.2026 को आपके कार्यालय में बुलाकर पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगना तथा दिनांक 13.03.2026 को अरोपी रिंकू के पास सिरमौर स्थिति फार्म हाउस पर पहूंचकर परिवादी राजकुमार को बुलाकर उक्त केस के बारे में रिंकू से बातचीत करने के लिये कहना तथा आपके कहे अनुसार रिंकू द्वारा परिवादी से 3,50000/-रूपये की रिश्वत की मांग करना व उसी मांग के क्रम में आज दिनांक 17.03.2026 को रिश्वत राशि परिवादी से उसके स्वयं के बैग में रखवाकर प्राप्त की गई है तथा मौके पर आरोपी रवि उर्फ रिंकू द्वारा आपसे जरिये वाट्सअप वार्ता कर 4.30 बजे कार्यालय में बुलाने के लिये कहा है, इस संबंध में मन उप अधीक्षक ने पूछा तो आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर ने बताया की दिनांक 12.03.2026 को मैने फोन करके श्री रवि को मेरे कार्यालय में किसी अन्य काम के लिये बुलाया था तथा दिनांक 13.03.2026 को मेरी रवि से बातचीत हुई थी मैने इसको शाम को फार्म हाउस पर आने के लिये कहा था इसके बाद दिनांक 13.03.2026 को शाम को मै ग्राम सिरमौर स्थित फार्म हाउस पर रवि के पास गया था उनके पास दो तीन व्यक्ति पहले से बैठे थे जिनको मै नही जानता था, मैने वहां पर रेवन्यू से संबंधित केसो से बारे में सामान्य बातचीत की थी। मैने राजकुमार या उससे जीजा देवेन्द्र से किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की और ना ही मैने रवि को राजकुमार से किसी प्रकार की रिश्वत लेने के लिये कहा मै फार्म पर थोडी देर रूकने के बाद वहा से आ गया था। इसके बाद आज दिनांक 17.03.2026 को रवि का वाट्सअप कॉल आया और मुझसे 4.30 बजे कार्यालय में मिलने के लिये कहा था जिस पर मैने रवि से कहा था की मै ऑफिस में ही हूं आप आ जाना। आप जिस व्यक्ति को राजकुमार बता रहे है उक्त व्यक्ति से मै कभी नही मिला। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी राजकुमार के केस के बारे में पूछा तो आरोपी बंसत कुमार परसोया ने कहा की मै उक्त का रिकॉर्ड देखकर बता सकता हूं, वैसे मुझे ध्यान नही है। इसके बाद मौके पर उपस्थित परिवादी राजकुमार ने आरोपी तहसीलदार श्री बसन्त कुमार परसोया की बातो का खण्डन करते हुये बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है। दिनांक 12.03.2026 को श्री रवि उर्फ रिंकू ने मुझे फोन किया और मुझे कहा की मै तहसीलदार साहब के पास बैठा हूं। तहसीलदार साहब के पास आपका विरासत का कोई केस है इसके लिये मै आपके घर आकर बातचीत करता हू। इसके बाद उसी दिन मुझसे मेरे घर आकर बातचीत की और बताया की तहसीलदार साहब ने आपके काम के लिये 5 लाख रूपये देने के लिये कहा है। तुम कल मेरे पास फार्म हाउस पर आ जाना तहसीलदार साहब फार्म हाउस पर ही आयगे और वहा पर बैठकर बातचीत कर लेगे और रवि ने बताया मै तहसीलदार साहब से बात करके आपको टाईम बता दूंगा। इसके बाद मै और जीजा देवेन्द्र अलवर आकर आपके कार्यालय में आपसे मिले और इस संबंध में आपको शिकायत लिखित प्रार्थना दिया इसी दौरान मैने रवि से बातचीत की तो इसने मुझसे दो तीन घण्टे में फोन करने का कहा इसके बाद करीब 3.30 से रवि से बातचीत हुई तो रवि ने कहा की तहसीलदार साहब फार्म पर आयगे तुम लोग घण्टे भर में फार्म हाउस पर आयेगे इसके बाद आपके निर्देशानुसार आपके कार्यालय से आपके कर्मचारी के साथ आपका टेपरिकॉर्डर लेकर वहा से रवाना हो गये करीब 5.00 बजे हम मेरे गांव के पास पहूंच जहा आपके कर्मचारी ने आपके विभाग का टेपरिकॉर्डर चालु कर मुझे दे दिया और आपका कर्मचारी बाहर ही रूक गया मै व मेरे जीजा देवेन्द्रं रवि के पास फार्म के अन्दर गये जहां पर हमे रवि मिला और देर बाद ही सरकारी गाडी से तहसीलदार साहब भी फार्म हाउस पर आ गये और हमसे हमारे केस के बारे में खुबसारी बातचीत की और हमने खर्चे के बारे में पूछा तो तहसीलदार साहब ने रवि से बात कर लेना ये सब बता देगा और तहसीलदार साहब वहां से चले गये। इसके बाद आज रवि से फोन पर बातचीत कर मै इनके पास फार्म पर आया और इनको बताया की पुरे पैसो की व्यवस्था नही हुई है 1,50000/- रूपये की व्यवस्था हुई है, तुम तहसीलदार साहब से बात कर लो इस पर रवि ने तहसीलदार साहब श्री बसंन्त जी से मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर बातचीत कर इसके आने की व मिलने की बातचीत की तो तहसीलदार साहब ने कहा की आ जाओ ऑफिस ही बैठा हूं। इस पर रवि ने तहसीलदार साहब को कहा की 4.30 बजे तक आता हूं। फोन कट जाने पर रवि ने मुझसे कहा की तहसीलदार साहब श्री बसन्त परसोया पैसे की बात फोन पर नही करते है इसके बाद रवि ने अपनी मोटरसाईकिल पर रखे बैग की चैन खोलकर ईशारे से 1,50000/- रखवा लिये और इसके बाद मुझसे कहा की आप सिगरेट लेकर आ जाओ और मै सिगरेट लेने के बहाने से आकर आपको ईशार कर दिया। इसके बाद आप लोग वहा आ गये। इसमे बाद तहसीलदार श्री बसन्त कुमार परसोया से मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः पूछा तो आरोपी कुछ नही बोला और चुप बैठा रहा। इसके बाद आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया से परिवादी के काम से संबंधित कागजात के बारे में पुछा तो उन्होने तहसील कार्यालय मे लगे स्टाफ से कमरा नम्बर 16 में रखी टेबिल पर लाल बस्ते से निकालकर मूल फाईल मन उप अधीक्षक को पेश की। पेशशुदा मूल पत्रावली का अवलोकन किया तो उक्त मूल पत्रावली के फाईल कवर पर प्रकरण संख्या 05/19.12.2025 राजकुमार बनाम सरकार ग्राम सिरमौर रिमाण्ड पत्रावली अंकित है। जिसके अन्दर पृष्ठ संख्या 1 से 3 नोटशीट है, पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर केस के संबंध में इबारत लिखि हुई है। पृष्ठ संख्या 3 खाली है तथा पृष्ठ संख्या 4 से 45 पर केस सें संबंधित कागजात लगे हुये है, उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति श्री अंकित गुप्ता तहसीलदार तहसील रामगढ जिला अलवर के द्वारा पेश की गई जिन पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई तथा मूल पत्रावली परिवादी के कार्य हेतु श्री अंकित गुप्ता तहसीलदार तहसील रामगढ जिला अलवर को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन

के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई । रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री राजकुमार व आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर व श्री रवि उर्फ रिंकू को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बसन्त कुमार को गिरफ्तार का नोटिस देकर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री राजकुमार की मौजुदगी में आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया पुत्र श्री बन्नाराम जाति रैगर उम्र 38 साल निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल आबाद प्लाट न. 21 गजसिंहपुरा बैक कालोनी 200 फुट बाईपास, अजमेर रोड के पास जयपुर हाल तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तारी का नोटिस देकर सूचित करने के उपरान्त वक्त करीब 11.15 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री राजकुमार की मौजुदगी में आरोपी दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र श्री सोहनलाल जाति कलाल उम्र 39 साल निवासी मुश्ांबाग अलवर हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब से दो मोबाईल फोन जिसमें एक आई फोन व दूसरा विवो कम्पनी का बरामद हुआ है, उक्त दोनो मोबाईलो पर पासवर्ड लगा होने से आरोपी से पासवर्ड के बारे में पूछने पर आरोपी ने पासवर्ड बताने से इनकार किया। आरोपी के उक्त दोनो मोबाईल में लगी हुई सिम नम्बरो पर आरोपी श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू से वार्ता हुई है अतः उपरोक्त दोनो मोबाईल को प्रकरण में वजह सबूत होने के कारण जरिये फर्द जप्त किया जाकर उक्त दोनो मोबाईल फोन को एफ सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को शील्डमोहर कर थैली पर मार्क M-1 अंकित कर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.03.2026 को वक्त करीब 12.05 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष आरोपी दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में आरोपी की पहने हुये लोवर की बाई जेब से एक मोबाईल फोन रियल मी कम्पनी का बरामद हुआ है, उक्त मोबाईल मे लगी सिम नम्बरो से आरोपी द्वारा परिवादी एवं आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर से वार्ता की गई है। अतः उक्त मोबाईल को प्रकरण में वजह सबूत होने के कारण जरिये फर्द जप्त किया जाकर उक्त मोबाईल फोन को एफ सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को शील्डमोहर कर थैली पर मार्क M-2 अंकित कर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात दिनांक वक्त करीब 12.35 ए. एम दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजकुमार से सहआरोपी दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति द्वारा द्वारा 150000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं बैग धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मैमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मैमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.15 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री राजकुमार एवं एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि. 192 व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री बसन्त कुमार परसोया, तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर व दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र

उर्फ रिंकू ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों व अन्य एक प्राइवेट वाहन से तहसील कार्यालय गोविन्दगढ से अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 3.15 ए.एम उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री राजकुमार एवं एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, भास्कर हैड कानि. 02, भीम सिंह कानि. 192 व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा साथ लाये आरोपीगण श्री बसन्त कुमार परसोया हाल तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर व दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति के तहसील गोविन्दगढ से रवाना होकर आरोपीगण के स्वास्थय परीक्षण हेतु राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर पहूंच जरिये तहरीर आरोपीगण का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर से रवारा होकर पुलिस थाना शिवाजी पार्क पहूच जरिये तहरीर दोनों आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में दाखिल करवाया जाकर नकल रपट रोजनामचा आम प्राप्त कर पुलिस थाने से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.00 ए.एम पर गवाहान एवं परिवादी श्री राजकुमार के समक्ष परिवादी श्री राजकुमार एवं आरोपी श्री रवि उर्फ रिंकू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मध्य दिनांक 17.03.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई एवं तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री राजकुमार के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को खुला रखा गया। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 17.03.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 69 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री राजकुमार की लिखित रिपोर्ट दिनांक 13.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन किया गया। उक्त मांग के क्रम में दिनांक 17.03.2026 को आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री बसन्त कुमार परसोया पुत्र श्री बन्नाराम जाति रैगर उम्र 38 साल निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल आबाद प्लाट न. 21 गजसिंहपुरा बैक कालोनी 200 फुट बाईपास, अजमेर रोड के पास जयपुर हाल तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी से उसके नाम वसीयत के आधार पर उसकी मौसी (ताईजी) के हिस्से की जमीन को परिवादी के नाम चढवाने के लिये तहसीलदार गोविन्दगढ मे कागजात लगाये तो उन्होने उसको पटवारी व ग्राम पंचायत चिडवाई सरपंच को आगे भेज दी थी। पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत चिडवाई ने उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नही होने के कारण जमीन बबली के नाम करने का ही इन्द्राज किया। जिस पर परिवादी ने एसडीम साहब गोविन्दगढ से अपील की तो एसडीएम साहब नें परिवादी के हक में हिस्सा चढाने का आदेष 03.12.2025 को तहसीलदार गोविन्दगढ के नाम किया तब तहसीलदारा गोविन्दगढ को पुनः अपने कागजात पेष किये तो उन्होने फाईल को अपने पास रखने और उस पर सुनवाई शुरू कर दी। उक्त भूमि को परिवादी राजकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा चढाने के लिये आरोपी बसन्त कुमार परसोया द्वारा अपने दलाल श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू से परिवादी को दिनांक 12.03.2025 को कॉल करवाना तथा अपने दलाल श्री रवि को परिवादी के पास उसके घर पर भेजना तथा आरोपी दलाल रवि द्वारा परिवादी को स्वयं के मिलन की कहकर अपने दलाल के जरिये परिवादी को फार्म हाउस पर बुलवाना तथा दौराने सत्यापन दिनांक 13.03.2026 को श्री बसन्त कुमार परसोया तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर आरोपी दलाल रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू के पास फार्म हाउस पर आना और परिवादीगण से केस संबंध में बातचीत करना तथा अपने दलाल रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू से बात कर लेने की कहना तथा दलाल के मार्फत 3,50000/-रूपये की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 17.03.2026 को परिवादी श्री राजकुमार से ईशारे से मांगकर अपनी मोटरसाईकिल पर रखे हुये बैग में रखवाने पर उक्त रिश्वत राशि उक्त बैग से 1,50000/-रूपये की रिश्वत राशि बरामद होना तथा आरोपी रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू द्वारा जरिये वाटसअप से बात करना से आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा

7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत कारित करने से आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपीगण 1. श्री बसन्त कुमार परसोया पुत्र श्री बन्नाराम जाति रैगर उम्र 38 साल निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल आबाद प्लाट न. 21 गजसिंहपुरा बैक कालोनी 200 फुट बाईपास, अजमेर रोड के पास जयपुर हाल तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर अपराध अर्न्तगत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया एवं 2. श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र श्री सोहनलाल जाति कलाल उम्र 39 साल निवासी मुश्ांबाग अलवर हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) अपराध अर्न्तगत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 61(2) बीएनएस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है । भवदीय(शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम अलवर..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री बसन्त कुमार परसोया पुत्र श्री बन्नाराम जाति रैगर उम्र 38 साल निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर हाल आबाद प्लाट न. 21 गजसिंहपुरा बैक कालोनी 200 फुट बाईपास, अजमेर रोड के पास जयपुर हाल तहसीलदार तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर एवं 2.श्री रवि उर्फ रविन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र श्री सोहनलाल जाति कलाल उम्र 39 साल निवासी मुंशी बाग अलवर हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 732 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 526-29 दिनांक 19.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/03/2026 14:36:12

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)